प्रकरण संख्या 25/18 2018/00098 तारीख रजू 12.12.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया, आई.ए.एस.

उनवान

डाक्टर गोविन्द गुप्ता पुत्र प्रहलाद गुप्ता आयु 50 साल जाति महाजन निवासी इन्द्रा कालोनी तहसील व जिला करौली — अपीलार्थी

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार करौली — प्रत्यर्थी

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार करौली निर्णय दिनांक 30.11.2018 प्रकरण उनवानी नोटिस बनाम डाक्टर गोविन्द गुप्ता प्रकरण संख्या न्याय/2018/2360 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट जिसके द्वारा प्रार्थी अपीलांट को खसरा नम्बर 5322 रकवा 2 बिस्वा की 20X10 फुट पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं 1638246 रूपया शास्ति वसूल करने का ओदश पारित किया गया है।

निर्णय

दिनांक--26.06.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वकील अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट की ओर से यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय परवर्स आरबीटेररी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट की मकानियत खसरा नम्बर 5321 में स्थित है खसरा नम्बर 5321 व सरकारी सडक के मध्य खसरा नम्बर 5322 रकवा 2 बिस्वा भूमि मंदिर गोविन्द देवजी के खातेदारी की है राजस्व रिकार्ड के अनुसार सडक की चौडाई 45 फुट है तथा खसरा नम्बर 5322 की लम्बाई 90 फुट एवं चौडाई 30 फुट है इस प्रकार सडक एवं खसरा नम्बर 5322 की कुल चौडाई 75 फुट होती है। वर्तमान में उक्त सडक पर नेशनल हाइवे बन चुका है जिसमे मध्य सडक पर डिवाईडर बनाया गया है और मध्य सडक से अपीलाण्ट की मकानियत के बीच 52.5 फुट भूमि सडक एवं फुटपाथ के रूप में खाली पडी हुई है ऐसी दशा में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 5322 की सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी की मकानियत व सडक के मध्य खाली अवस्था में है जिन पर कोई अतिक्रमण नही है। पटवारी हल्का ने जो मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2018 व 27.05.2018 को तैयार की गई है उन मौका रिपोर्टो से स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट भूमि का सीमाज्ञान किये बिना कयासी आधार पर तैयार की गई है और किसी भी मुश्तकिल पॉइन्ट से विधि अनुसार कोई नाप जोख नहीं की गई है। धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस मिलने पर एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2018 व 27.05.2018 अपीलाण्ट की जानकारी में आने पर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे खसरा नम्बर 5322 की विधि अनुसार मुश्तकिल पॉइन्ट से नाप कराक

जिला कलक्टर करौली

सीमाज्ञान रिपोर्ट मंगाने हेतु प्रार्थनापत्र निस्तारण किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2018 व 27.05.2018 को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है जो अवैध है और अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 एल. आर.एक्ट के प्रकरण का निस्तारण करने में विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। पटवारी हल्का के बयान रिकार्ड नहीं किये है और अपीलाण्ट को पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2018 व 27.05.208 की सत्यता परखने हेतु प्रतिपरीक्षा का मौका नही दिया है जबकि अपीलाण्ट द्वारा इस बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया और विधि अनुसार भी पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध करना एवं पटवारी हल्का से प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अवैध है और अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.10.2018 को अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2018 का निस्तारण किये बिना पत्रावली को निर्णय से नियत करके 26.11.2018 की तारीख पेशी नियत कर दी। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 26.11.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर विधिक स्थिति स्पष्ट की गई कि अपीलाण्ट के सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना तथा अपीलाण्ट का जवाब लिये बिना और पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध किये बिना प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना विधि पूर्ण नहीं है इस कारण सर्वप्रथम अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2018 का निस्तारण कर सीमाज्ञान रिपोर्ट मंगाई जावे तदुपरांत अपीलाण्ट का जवाब लेकर तथा पटवारी हल्का का बयान लेखकर निर्णय पारित किया जावे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र की अनदेखी कर बिना बहस सुने तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2018 का निस्तारण किये बिना और अपीलाण्ट का जवाब लिये बिना व पटवारी हल्का का बयान लिये बिना मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2018 व 27.05.2018 को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है और पूर्णतया अवैध है इस कारण अपील स्वीकार होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 5322 की नाप तथा मौके पर सडक एवं अपीलाण्ट के मकान के मध्य की खाली भूमि पर विचार नहीं किया है तथा मौके रिपोर्ट दिनांक 27.05.2018 में वर्णित तथ्य पर भी विचार नहीं किया है कि उक्त रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि पटवारी हल्का खसरा नम्बर 5322 की चौड़ाई बताने में तथा यह बताने में असमर्थ रहा है कि उक्त खसरा नम्बर की कितनी भूमि नेशनल हाईवे की सडक के लिए अवाप्त की गई है जिससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में खसरा नंबर 5322 की 20X10 फुट भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पूर्णतः कयासी है और बिना किसी आधार के है जिस रिपोर्ट मात्र के आधार पर अपीलाण्ट की निर्माणसुदा पुरानी मकानियत में 20X10 फुट भूमि का अतिक्रमण माना जाना विधि पूर्ण नहीं है और निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपास्त होने योग्य है। खसरा नम्बर 5322 मंदिर भूमि है और सरकारी भूमि नहीं है। मंदिर भूमि पर धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही को माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय में क्षेत्राधिकार के बाहर माना है और यह निर्धारित किया है कि प्रशासनिक आदेश से 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती जबकि राज0 सरकार को मंदिर भूमि पर धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रशासनिक आदेश दिया है

जिला कलक्टर
करौली

जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट पर 69228 रूपया वर्गगज की दर से 50 गुणा शास्ति अधिरोपित की है जबकि खसरा नम्बर 5322 बारानी कृषि भूमि है जिसका लगान 3.02 पैसे है इस प्रकार उक्त भूमि लगानी भूमि है जिस भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवसायिक भूमि की दर से शास्ती अधिरोपित की है जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है इस कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अवैध है और अपास्त होने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11-बी. के लिए अवाप्त भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

अपील के जवाब में तहसीलदार करौली ने अवगत कराया है कि न्यायालय तहसीलदार करौली द्वारा पारित निर्णय पूर्णतः विधि सम्मत है। निर्णयाधीन आराजी ख.नं. 5322 किस्म बंजड 2 रकबा 2 विस्वा ग्राम करौली-9 मंदिर गोविन्द जी महाराज करौली (नाबालिक, देवताओं से संबंधित जोत) दर्ज कृषि योग्य भूमि है। पटवारी हल्का करौली-9 की रिपोर्ट दिनांक 21.10.2018 सपठित 27.05.2018 जो क्रमशः वर्तमान पटवारी करौली 9 एवं भू-निरीक्षक करौली द्वारा मौके पर तहरीर की गई, उनके अवलोकन से यथा आराजी ख.नं. 5322 रकबा 2 विस्वा में अतिक्रमी डॉ. गोविन्द गुप्ता निवासी करौली द्वारा 20'10 वर्गफीट निर्माण किया जाकर अतिक्रमण पाए जाने से अतिक्रमी अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसकी पूर्वगामी पुष्टि रिपोर्ट द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक करौली दिनांक 27.05.2018 को भी श्रीमान उपखण्ड अधिकारी करौली के पत्रांक जांच/2018/267-69 दिनांक 26.05.2018 की पालना में प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट में भी भू-अभिलेख निरीक्षक करौली व पटवारी हल्का करौली 9 द्वारा ख.नं. 5322 पर गोविन्द गुप्ता का पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है, की भूतगामी पुष्टि रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर ली जाकर इन रिपोर्टों से प्रथम दृष्टतया ही संतुष्ट होने से क्योंकि वरिष्ठ भू-अभिलेख कर्मचारी अर्थात् भू-अभिलेख निरीक्षक, करौली द्वारा मौतविरान की उपस्थिति दिनांक 26.05.2018 को ही इस खसरे सहित देवस्थान भूमि ख.नं. 5322, 5323 का भी सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91, धारा 103(ए)(i) द्वारा परिभाषित "भूमियों" पर अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को दायित्वाधीन एवं सशक्त बनाती है तथापि धारा 91 द्वारा अतिक्रमियों के विरूद्ध संक्षिप्त कार्यवाही का आदेश भी देती है ताकि भूमि धारक राज्य सरकार/ काश्तकार/स्थानीय निकाय इत्यादि को शीघ्र अनुतोष दिया जा सके एवं इसके प्रवर्तन में अधीनस्थ न्यायालय से तनकीयात निर्माण, अनावश्यक बहस एवं समय प्रदान करने की अपेक्षा नहीं की जाती। तदनुसार प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट, पूर्वगामी भू-अभिलेख निरीक्षक करौली रिपोर्ट के आधार पर तथापि अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर (गुणावगुण) पर प्रदान कर पारित निर्णय पूर्णतया जन एवं राज्य हित में है जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2018 का न्यायिक एवं विधिक विवेचन किया जाकर बातचीत अभिलेख उन्हें समयपूर्वक उपलब्ध कराया गया

जिला कलक्टर
करौली

तथापि अन्य बिन्दुओं जिन पर कोई अतिरिक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी यथा पटवारी के बयान लिया जाना इत्यादि को न्याय एवं विधि की भावना से संगत नहीं पाकर स्वीकार नहीं किया गया। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 21.10.2018 एवं भू–अभिलेख निरीक्षक करौली रिपोर्ट 27.05.2018 के आधार पर, इन रिपोर्टों का पर्याप्त सीमांकन रिपोर्ट पाया जाने से अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई। जेरे न्याय ख.नं. 5322 ग्राम करौली 9 की सम्वत जमाबंदी 2072–75 की खाता संख्या 518 पर गोविन्द देव जी महाराज करौली (नाबालिक, देवताओं से संबंधित जोत) किस्म बंजड–2 रकबा 2 विस्वा दर्ज रिकार्ड है। अपीलाण्ट के कथन के सापेक्ष अधिनियम के अध्याय VI की धारा 103(ए)(i) उद्ग्रहीत है जिसके अनुसार काश्तकारी अधिनियम 5 (24) द्वारा परिभाषित सम्मत भूमियों जो कृषि योग्य है या कृषि के उपक्रमों से संबंधित है, पर धारा 91 के प्रावधान पूर्णतया प्रवर्थ होते हैं। विधिक प्रावधानों के अनुसरण में ही देवस्थान भूमियों के सुरक्षण हेतु राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.15(20)राज / 3 / 85 दिनांक 18.06.1992, क्रमांक प.6(17)सु.ध. / अनु.–3 / 2002 दिनांक 27.05.2002, समसंख्यक दिनांक 07.12.2009, क्रमांक 3(2)राज–6 / 2007 / पार्ट / 5 दिनांक 12.09. 2018 द्वारा भी समय समय पर राज्य सरकार द्वारा देवस्थान भूमियों की सुरक्षार्थ अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों को दायित्व और शक्तियों के निर्वहन हेतु निर्देश प्रदान किये हैं। यथा उपरोक्त परिपत्र 12.09.2018 का संबंधित पैरा सं. 5 निम्नानुसार उद्गृहीत है–"मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेगा जैसे कि राजकीय भूमि के अतिक्रमण के विरुद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्ति मंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण की रिपोर्ट सिवायचक / चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मी से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदानुसार प्रभावी कार्यवाही करेंगे।" धारा 91(2) जिसके प्रवर्तन में अतिक्रमी के विरुद्ध वित्तीय शास्ति का भी आज्ञापरक प्रावधान है, में राजस्व न्यायालय तहसीलदार को ।ददनंस त्मदज वत ।मेउमदज के आधार पर शास्ति देय है, हेतु न्यायालय को शक्तियां प्रदत्त हैं जिनके प्रवर्तन में गुणावगुण के आधार पर वित्तीय शास्ति अधिरोपित की गई जो विधि सम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट को निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गयझं

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाण्ट की मकानियत खसरा नम्बर 5321 में स्थित है। खसरा नम्बर 5321 व सरकारी सडक के मध्य खसरा नम्बर 5322 रकवा 2 बिस्वा भूमि मंदिर गोविन्द देवजी के खातेदारी की है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार सडक की चौडाई 45 फुट है तथा खसरा नम्बर 5322 की लम्बाई 90 फुट एवं चौडाई 30 फुट है। इस प्रकार सडक एवं खसरा नम्बर 5322 की कुल चौडाई 75 फुट होती है। वर्तमान में उक्त सडक पर नेशनल हाइवे बन चुका है जिसमें मध्य सडक पर डिवाईडर बनाया गया है और मध्य सड़क से अपीलाण्ट की मकानियत के बीच 52.5 फुट भूमि सड़क एवं फुटपाथ के रूप

जिला कलक्टर
करौली

में खाली पडी हुई है। ऐसी दशा में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 5322 की सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी की मकानियत व सड़क के मध्य खाली अवस्था में है जिन पर कोई अतिक्रमण नही है। पटवारी हल्का ने जो मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2018 व 27.05.2018 को तैयार की गई है उन मौका रिपोर्टो से स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट भूमि का सीमाज्ञान किये बिना कयासी आधार पर तैयार की गई है और किसी भी मुस्तकिल पॉइन्ट से विधि अनुसार कोई नाप जोख नहीं की गई है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.05.2018 के मद नं. 3 में भी अतिक्रमण को अनुमानित बताया गया है। साथ ही मद नं. 4 में स्पष्ट उल्लेख है कि NH-11B के लिए अवाप्त भूमि का आदेश एवं नक्शा प्लान प्राप्त नहीं होने के कारण चौड़ाई की माप संभव नहीं है। केवल अनुमानित आधार पर ही सीमाज्ञान किया गया है। धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस मिलने पर एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2018 व 27.05.2018 अपीलाण्ट की जानकारी में आने पर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे खसरा नम्बर 5322 की विधि अनुसार मुस्तकिल पॉइन्ट से नाप कराके सीमाज्ञान रिपोर्ट मंगाने हेतु प्रार्थनापत्र निस्तारण किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2018 व 27.05.2018 को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का के बयान रिकार्ड नहीं किये है और अपीलाण्ट को पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2018 व 27.05.208 की सत्यता परखने हेतु प्रतिपरीक्षा का मौका नही दिया है सर्वप्रथम अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2018 का निस्तारण कर सीमाज्ञान रिपोर्ट मंगाई जावे तदुपरांत अपीलाण्ट का जवाब लेकर तथा पटवारी हल्का का बयान लेखकर निर्णय पारित किया जावे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र की अनदेखी कर बिना बहस सुने तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2018 का निस्तारण किये बिना और अपीलाण्ट का जवाब लिये बिना व पटवारी हल्का का बयान लिये बिना मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2018 व 27.05.2018 को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 5322 की नाप तथा मौके पर सडक एवं अपीलाण्ट के मकान के मध्य की खाली भूमि पर विचार नहीं किया है तथा मौके रिपोर्ट दिनांक 27.05.2018 में वर्णित तथ्य पर भी विचार नहीं किया है कि उक्त रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि पटवारी हल्का खसरा नम्बर 5322 की चौड़ाई बताने में तथा यह बताने में असमर्थ रहा है कि उक्त खसरा नम्बर की कितनी भूमि नेशनल हाईवे की सड़क के लिए अवाप्त की गई है जिससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में खसरा नंबर 5322 की 20X10 फुट भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पूर्णतः कयासी है और बिना किसी आधार के है जिस रिपोर्ट मात्र के आधार पर अपीलाण्ट की निर्माणसुदा पुरानी मकानियत में 20X10 फुट भूमि का अतिक्रमण माना जाना विधि पूर्ण नहीं है। खसरा नम्बर 5322 मंदिर भूमि है और सरकारी भूमि नहीं है। मंदिर भूमि पर धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही को माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय में क्षेत्राधिकार के बाहर माना है और यह निर्धारित किया है कि प्रशासनिक आदेश से 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती जबकि राज0 सरकार को मंदिर भूमि पर धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रशासनिक आदेश दिया है जो विधि विरूद्ध है। तहसीलदार द्वारा किसी मुस्तकिल बिन्दु से सीमाज्ञान नही किया

जिला कलक्टर
क.रौली

गया है। अतिक्रमण की माप को लगभग बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट पर 69228 रूपया वर्गगज की दर से 50 गुणा शास्ति अधिरोपित की है जबकि खसरा नम्बर 5322 बारानी कृषि भूमि है जिसका लगान 3.02 पैसे है इस प्रकार उक्त भूमि लगानी भूमि है जिस भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवसायिक भूमि की दर से शास्ती अधिरोपित की है जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है इस कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अवैध है और अपास्त होने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

रेस्पोण्डेण्ट ने बहस में कथन किया है कि विवादित भूमि का दिनांक 27.05.2018 व 21.10.2018 को सीमाज्ञान किया गया है। अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत विधिसम्मत् एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। खसरा नं. 5322 व 5323 बाके कस्बा करौली–9 के संबंध में रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 27.05.2018 के मद नं. 3 में अतिक्रमण को अनुमानित तथा मद नं. 4 में NH-11B के लिए अवाप्त भूमि का आदेश एवं नक्शा प्लान प्राप्त नहीं होने के कारण चौडाई की माप संभव नहीं होना बताया है। इस प्रकार दिनांक 27.05.2018 व 21.10. 2018 को किसी मुश्तकिल बिन्दु से नहीं किया गया है एवं अतिक्रमण की माप को लगभग बताया है। NH-11B के लिए उक्त खसरा नंबरान में से अवाप्त की गई भूमि के संबंध में तहसीलदार करौली द्वारा भी अपने विवेचन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार NH-11B के लिए अवाप्त भूमि का रकबा उक्त खसरा नंबरान की भूमि में से कम किया जाकर किसी मुश्तकिल बिन्दु से सीमाज्ञान किये जाने के उपरांत ही अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। केवल अनुमान के आधार सीमाज्ञान किया जाकर किसी को अतिक्रमी नहीं ठहराया जा सकता। अतः मुश्तकिल बिन्दु से सीमाज्ञान कराये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अस्तु अपील, अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार करौली का जैर अपील आदेश दिनांक 30.11.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार करौली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह खसरा नं. 5322 व 5323 बाके कस्बा करौली–9 का मुश्तकिल(स्थाई) बिन्दु से सीमाज्ञान करके अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2019 खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
करौली